

राजस्थान सरकार  
राजस्थान भूमि-31 विभाग

F-7-4  
17.11.2001

क्रमांक: प. 2144551राज/भूमि-3/90

जयपुर, दिनांक: 21-7-99

आदेश :-

चूंकि भूतपूर्व जयपुर रिधातत द्वारा राजस्थान सरकार तथा जयपुर को हाई स्कूल भवन, बोर्डिंग हाउस एवं कार्मिकों के आवास गृह निर्माण हेतु उनके पत्र क्रमांक: 7064/रेवे/दिनांक 10.10.42 द्वारा तहसील तथाई जयपुर के ग्राम बत्ती तीताराम्प की 41 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम झोटवाड़ा की 12 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम परतराम्प की 57 बीघा 3 बिस्वा तथा जंगलात ग्राम फार्म और शिकारखाना विभाग की 389.04 बिस्वा कुल रकबा 501 बीघा 01 बिस्वा ~~विशुद्ध~~ भूमि निष्कलक आवंटित की गई राजस्थान सरकार द्वारा उनके आदेश क्रमांक प. 212601रेवे/3/80 दिनांक 30.7.82 को अनाधिकारित भूमि पुनर्गठन कर ली गई।

और चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प. 212601रेवे/3/दिनांक 30.7.82 द्वारा आवंटित भूमि निरस्त किये जाने से पूर्व राजस्थान तथा सर्व प्रभुवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रयत्नवादी हेतु अवसर दिया जाना चाहिये था। लेकिन उक्त सम संख्यक आदेश में राजस्थान तथा सर्व प्रभुवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को पर्याप्त सुनवाई कर उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए आवंटित भूमि का पुनर्गठन किया जाना प्रत्यक्तः परिलक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त भूमि पुनर्गठन आदेश का मुख्य आधार श्री भुवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कृषि उपज समिति, जयपुर की मांग पर भूमि का संक्रामा किया जाना रहा जबकि जिला क्लक्टर, जयपुर ने कृषि उपज मण्डी समिति को भूमि कृष नहीं करने हेतु स्थगन आदेश दिये हुये थे। कृषि उपज मण्डी समिति/XXXX राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्थायित्व जाती संस्था है एवं भूमि संक्रामा में कृषि विभाग, राज्य सरकार भी सम्बद्ध पक्ष था और कृषि विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक प. 11012141कृषि/गु-2-जी/74-पार्ट दिनांक 17.10. से 76 बीघा भूमि कृष करने हेतु स्विकृति प्रदान की गई थी। वास्तव में श्री भुवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में सम संख्यक आदेश दिनांक 30.7.82 न्यायोचित नहीं था।

और चूंकि श्री भुवानी निकेतन शिक्षा समिति भूजीयन सांतायटी रजिस्ट्रार 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति। द्वारा यह अभ्यावेदन करने पर कि उक्त भूमि दिनांक 1942 के प्रारम्भिक आवंटन आदेश के अनुसार शिक्षा प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु स्विकृति दे दी जावे, राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन उपरोक्त प्रयोजनार्थ पुनर्स्थापित करने हेतु धारा 102, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित शर्तियों के अन्तर्गत भूमि तादादी 506 बीघा 4 बिस्वा, जो कि जिला क्लक्टर, जयपुर द्वारा उक्त पुनर्गठन आदेश के अनुसार कब्जे में ली गई थी, श्री भुवानी निकेतन शिक्षा समिति को आदेश क्रमांक प. 212601रेवे/3/80/पार्ट-2 दिनांक 25.8.84 द्वारा पुनः आवंटनकी गई एवं इसके अतिरिक्त ग्राम बीड सरकारी के खतरा क्र. 11 की भूमि तादादी 3 बीघा एवं ग्राम झोटवाड़ा के खतरा क्र. 1069 की भूमि तादादी 4 बीघा 5 बिस्वा उक्त समिति के कब्जे में तमानान्तर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिये जारी किया गया। लेकिन इन आवंटन आदेशों में प्रारम्भिक आवंटन आदेश के अतिरिक्त उन

---2---

प्राचार्य

श्री भुवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड़, जयपुर

Comp by

Principal

Shri Bhawani Niketan PG (Boy) College  
Sikar Road, Jaipur



शर्तों का समावेश किया जाने से प्रारंभिक आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन नहीं हुआ ।

और चूंकि उक्त भूमि आवंटन से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण राजसूत सभा जयपुर द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1655/84 दायर कर दी गई एवं तदुपरान्त राजसूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त इत भूमि आवंटन के संबंध में दीर्घकाल की चर्चा आ रही इत विवादग्रस्त स्थिति पर विचार किया गया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति ने इत विवाद के फलस्वरूप शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी कार्यों, तकनीकी एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालन एवं नये पाठ्यक्रम शुरू करने में बाधा कठिनाई होना प्रकट किया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर एवं राजसूत सभा, जयपुर द्वारा भूतपूर्व जयपुर रियासत के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.10.42 के अन्तर्गत आवंटित उनके कब्जे में कमी आ रही भूमि आवंटित किये जाने पर उच्च न्यायालय में उनके द्वारा मूक-मूक दायर याचिकाएँ वापिस लेने हेतु लिखित में दे दिया गया ।

अतः श्रद्धा सतद्वारा उपरोक्त शिक्षण संबंधित प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 त्तुलित राजस्थान भू-राजस्व सत्कृत, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिसारित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन। नियम, 1963 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्तावित आदेश क्रमांक प.21260/रेवे/3/80/11 दिनांक 25.8.84 को प्रसिद्ध/रद्द/प्रति रद्द करने हुये निम्नलिखित आदेश प्रस्तावित किये जाते हैं :-

1. राजसूत सभा को हाई स्कूल बोर्डिंग हाऊस एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु 501 बीघा 01 बिस्वा भूमि का भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा आवंटनआदेश दिनांक 10.10.42 का पुनर्स्थापन किया जाता है । चूंकि राजसूत सभा के स्थान पर श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति शिक्षण संस्थाओं के संचालन का कार्य कर रही थी और चूंकि अब इन शिक्षण संस्थाओं के संचालन के कार्य हेतु श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है । अतः दिनांक 10.10.42 के भूमि आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है । इत पर राजसूत सभा, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति तथा श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट सहमत है ।

उपरोक्त भूमि के अभाव श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के कब्जे में आदिनांक कमी आरही 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन उपरोक्त शिक्षण आउटग्राउंडों के लिये श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट को निःशुल्क किया जाता है । इस प्रकार कुल 555 बीघा 16 बिस्वा भूमि का सलग्न परिशिष्ट के अनुसार श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर को आवंटन किया जाता है ।

25

प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड़, जयपुर

Comp. by

*[Handwritten Signature]*

Shri Bhawani Niketan P.G. (Students) College  
Sikar Road, Jaipur



3. उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि का उपयोग श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा केवल शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ही किया जा सकेगा।


आज्ञा से,

6  
49

श्री भवानी निकेतन  
श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, त्वापररा शासन एवं नगरीय विकास एवं आवाहन विभाग।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. अध्यक्ष, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर।
5. संबंधित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव

प्रतिहासपत्रिका

राज्य प्रशासनिक सेवा  
राज्य प्रशासनिक सेवा  
जयपुर। एवं संबंधित प्रशासनिक सेवा

प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड, जयपुर

Comp. by

Principal  
Shri Bhawani Niketan PG (Boy's) College  
Sikar Road, Jaipur



राज्य शासन राज-भोगोल ६६८  
श्री भवानी निकेतन शिक्षण-संस्थान, जयपुर को आवंटित की गई  
भूमि का विवरण।

क्रम सं.	नाम ग्राम	तहसील व जिला	खसरा संख्या	रकबा.						
1.	बीड़ सरकारी	जयपुर	7	73 बीधा	4 बिस्वा					
			8	140 बीधा	16 बिस्वा					
			9	62 बीधा	12 बिस्वा					
			10	67 बीधा	14 बिस्वा					
			11	3 बीधा	-					
			12	-	8 बिस्वा					
			13	3 बीधा	12 बिस्वा					
			14	41 बीधा	18 बिस्वा					
			15	19 बीधा	-					
			योग:-			412 बीधा	4 बिस्वा			
			2.	डोल्वाड़ा	जयपुर	1068	34 बीधा	7 बिस्वा		
						1069	4 बीधा	5 बिस्वा		
						योग:-			38 बीधा	12 बिस्वा
						1	21 बीधा	2 बिस्वा		
			3.	परतरामपुरा	जयपुर	2	10 बीधा	11 बिस्वा		
2/54	-	5 बिस्वा								
3	12 बीधा	2 बिस्वा								
4	14 बीधा	10 बिस्वा								
5	1 बीधा	6 बिस्वा								
6	3 बीधा	10 बिस्वा								
योग :-						63 बीधा	6 बिस्वा			
1/2	41 बीधा	14 बिस्वा								
योग :-						41 बीधा	14 बिस्वा			
महायोग :-						555 बीधा	16 बिस्वा			



श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड़, जयपुर

प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन पी.जी. (छात्र) महाविद्यालय  
सीकर रोड़, जयपुर

Comp. by

Principal  
Shri Bhawani Niketan PG (Boys) College  
Sikar Road, Jaipur